

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (फैक्स: 23389985)

संदर्भ सं. एल-12011/1/2016-जीपी-।

दिनांक: 2 अगस्त, 2017

सेवा में

1. सीएमडी, ओएनजीसी,
नई दिल्ली
2. सीएमडी, गेल
नई दिल्ली

विषय: ओएनजीसी के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में हजीरा में गैर-एपीएम गैस का आवंटन

महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर ओएनजीसी के दिनांक 16.06.2017 के पत्र सं. ओएनजीसी / एमकेटी / जीएस / 10(6)/ 2017 तथा दिनांक 06.07.2017 के पत्र सं. ओएनजीसी / एमकेटी / जीएस / 10(6)/ 2017 का संदर्भ लेने निदेश हुआ है। मामले की मंत्रालय में जांच की गई है और हजीरा में उपलब्ध अतिरिक्त गैर-एपीएम गैस का निम्नानुसार उपयोग करने का निर्णय लिया गया है:

- क) उपभोक्ताओं को इस गैस की आपूर्ति करने से पहले ओएनजीसी / गेल द्वारा क्षेत्र में अपने तकनीकी रूप से व्यवहार्य एलपीजी और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए सभी उच्च हाइड्रोकार्बन को निकाला जाएगा। उनके गैर-एपीएम आवंटन से अधिक निकाली हुई मात्रा की आरएलएनजी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ख) गेल को एच1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए और एच1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र की कमी को पूरा करने के लिए गैर एपीएम गैस आवंटित की गई है। इस संबंध में गेल मंत्रालय को छह मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।
- ग) उपर्युक्त (ख) में विचार की गई मात्रा के बाद अतिरिक्त गैस की आपूर्ति मौजूदा गैर-एपीएम आवंटी फर्टिलाइजर संयंत्रों को यूरिया के उत्पादन के लिए केवल यथानुपात आधार पर ही की जाएगी।

क्र.सं.	उर्वरक संयंत्र का नाम
1	एनएफएल, विजयपुर
2	सीएफसीएल 1, गड़ेपान
3	इंडोगल्फ फर्टिलाइजर्स, जगदीशपुर
4	टीसीएल, बबराला
5	केएसएफएल शाहजहांपुर
6	इफको, आंवला
7	जीएसएफसी, वडोदरा
8	एसएफसी, कोटा
9	इफको, कलोल
10	कृभको, पूर्व-हजीरा
11	जीएनएफसी, भरुच

घ) इससे अधिक गैस की मात्रा की आवश्यकता, यदि कोई हो, को ओएनजीसी द्वारा इस मंत्रालय को सूचित किया जाएगा, और इस मंत्रालय द्वारा इसे मेरिट पर मामला दर मामला के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

ड.) इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका,

हस्ता./-

(एस.पी. अग्रवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23388652

प्रतिलिपि: प्रधान सिस्टम विश्लेषक - कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।